संख्या— /अड़तीस—9—2012—02(बजट)/2011टी.सी

प्रेषक,

बी0पी0 सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
बहराइच।

ग्राम्य विकास अनुभाग—9 लखनऊ दिनांक 9 अक्टूबर, 2012

विषयः विधान मण्डल के दोनों सदनों के मा0 सदस्यों को अपने—अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास कार्यो हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012—13 की धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु।

F/AO:
श्री दीक्षित

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय श्री अरूणवीर सिंह, मा0 सदस्य, विधान परिषद को अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्य कराने हेतु रू0 1,25,00,000/—(रूपये एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :—

1. उक्त स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के वैयक्तिक लेखा खाता में जमा की जायेगी। इस धनराशि का व्यय विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में उल्लिखित व्यवस्था/प्राविधानों तथा इस निमित्त समय—समय पर जारी शासनादेश के अनुसार ही किया जायेगा।

2. मुख्य विकास अधिकारी, बहराइच द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि की जानकारी तथा शासनादेश की प्रतिलिपि मा0 विधान परिषद सदस्य को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायी जायेगी।

2— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2012—2013 के आय—व्ययक के अनुदान सं0—13 के लेखाशीर्षक—''4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय—आयोजनागत— 800—अन्य व्यय—03—विधायक निधि—42—अन्य व्यय'' के नामें डाला जायेगा।

3— यह आदेश वित्त (आय—व्ययक अनुभाग—1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या—बी—1—1515/दस—2012—231/2012, दिनांक—09.07.2012 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

संलग्नक—यथोपरि

भवदीय,

(बी0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

rathor GO

संख्या– 619 (1)/अड़तीस–9–2012, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3– मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, बहराइच।
4– प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
5– प्रमुख सचिव, विधान परिषद उत्तर प्रदेश।
6– निजी सचिव, मा0 सभापति, विधान परिषद उत्तर प्रदेश।
7– आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
8– अपर आयुक्त (लेखा) ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
9– जिलाधिकारी, बहराइच।
10– वरिष्ठ कोषाधिकारी, बहराइच।
11– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2/ वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1।
12– नियोजन अनुभाग–3/ग्राम्य विकास अनुभाग–3।
13– गार्डबुक।

आज्ञा से,

(बी0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

rathor GO